भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *118

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

अप्राधिकृत डिजिटल ऋण ऐप्स

*118. डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कितने अप्राधिकृत डिजिटल ऐप्स को चिन्हित किया गया है, काली सूची में डाला गया है या बंद किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है और ये ऐप किन-किन प्लेटफार्मों पर संचालित होते हैं;

(ख) इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विनियामक कार्रवाई, जन जागरूकता अभियान और वित्तीय संस्थाओं तथा ऐप स्टोर के साथ समन्वय सहित क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे ऐप्स के लिए एक केंद्रीय निगरानी तंत्र बनाने और नागरिकों को खतरनाक डिजिटल ऋण पद्धतियों से बचाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“अप्राधिकृत डिजिटल ऋण ऐप्स” के संबंध में डॉ. बायरेड्डी शबरी, श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 8 दिसंबर 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (क) से(ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार देश में अप्राधिकृत डिजिटल ऋण ऐप्स के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों के साथ लगातार कार्य कर रही हैं। सार्वजनिक जानकारी के लिए, आरबीआई ने दिनांक 01.07.2025 से अपनी वेबसाइट पर एक निर्देशिका 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' का संचालन किया है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा प्रसारित सभी डीएलए शामिल हैं। निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को आरई के साथ डीएलए के संबद्धता के दावे को सत्यापित करने में सहायता करना है।

चिह्नित किए गए अप्राधिकृत डिजिटल ऋण ऐप्स के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के पास सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 दी गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निदेश जारी करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, सरकार और आरबीआई अप्राधिकृत ऋण ऐप्स द्वारा शोषण से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल करते रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

i. आरबीआई ने 8 मई, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 जारी किए हैं। इन निदेशों में वापस लाने, डेटा गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं जो विनियमित संस्थाओं (आरई), उनके द्वारा लगाए गए उधार सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल ऋण देने वाले ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं।

ii. अप्राधिकृत ऋण ऐप्स के संचालन की समीक्षा करने के लिए प्रमुख इंटरनेट मध्यवर्तियों और मैसेजिंग प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।

iii. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। अवैध ऋण ऐप सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" का भी शुभारंभ किया है।

iv. बैंक पब्लिक फेसिंग प्लेटफॉर्म 'संचेत' पोर्टल और अंतर-विनियामकीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के माध्यम से नागरिकों को अवैध रूप से धन जमा/संग्रह से संबंधित विनिर्दिष्ट इकाई के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

v. भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जो धोखाधड़ियों और जोखिम को कम करने के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

*****